संख्या- 6 /2021/रिट-61 /23-2-2021- 23 (सा)/21

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार त्यागी ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 मार्च, 2021

विषय:- एल0ए0आर0 संख्या-287/70/2011 सुधराबाई व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित प्रथम अपील संख्या-541/2018 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम सुधराबाई व अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-257/चित्रकूटधाम (बांदा)-41 वि0प्र0/2020, दिनांक 29.01.2021 एवं मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रांक-852 बी0जी0जी0/209 बी0 आवंटन भूमि प्रतिकर/2020-21, दिनांक 19.03.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एल0ए0आर0 संख्या-287/70/2011 सुधराबाई व अन्य बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 30.11.2017 के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित प्रथम अपील संख्या-541/2018 उ0प्र0 सरकार व अन्य बनाम सुधराबाई व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.12.2020 एवं 16.03.2021 के अनुपालन मा0 न्यायालय में जमा की जाने वाली धनराशि रू0-3,35,38,801/- अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक 5054-सड़को तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-अन्य व्यय-0301-न्यायालयों की डिक्री की धनराशियों के भुगतान हेतु व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य" मद के नामे डाला जायेगा।

4- उक्त धनराशि के भुगतान से पूर्व धनराशि की गणना की शुद्धता की जॉच करते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त देयता के सम्बन्ध में पूर्व में कोई धनराशि काश्तकार को नहीं दी गई है।

5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner

6- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव।

संख्या- 6 /2021/रिट-61/23-2-2021 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
4- मण्डलायुक्त, चित्रकूटधाम (बांदा) मण्डल।
5- जिलाधिकारी, बांदा।
6- विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1/2), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, चित्रकूटधाम (बांदा) क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
9- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बांदा।
10- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
11- वेब अधिकारी, प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/7
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

Scanned with CamScanner